



राजस्थानसरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)



राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>
Phone: 0141-2740252

email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.4(19)/RGHS/store/electric item pur./2022-23/ 2487

दिनांक:- 02.03.2023

निविदा सूचना- 464/2022-23

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ जयपुर में कार्यालय उपयोग हेतु निम्नानुसार इलैक्ट्रिक सामग्री कय की जानी है इस हेतु अधिकृत निविदादाताओं से निम्नानुसार सील बंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	सामग्री का विवरण (Supply Installation) with	अनुमानित लागत (रूपये)	बोली प्रतिगृति राशि (रूपये)	निविदा प्रपत्र शुल्क अवापसीय)	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	9
1	ए.सी (नग-04)	02.00 लाख	विषय वस्तु में प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं एमएसएमई फर्मों की दशा में 0.5 प्रतिशत की राशि का डी.डी	ई-ग्रास चालान द्वारा 500/- (Office Id 36829) बजट मद 0075-800-52-01	10.03.2023 11:00 AM
2	टी0वी0 (नग-01)	00.80 लाख			
3	प्रोजेक्टर(WithScreen) (नग-01)	01.50 लाख			
4	सी.सी.टी.वी (नग-10)	01.50 लाख			
Estimated Total amount		05.80 लाख			

- संबंधित फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज को निर्धारित प्रपत्र दिनांक 09.03.23 सायं 3:00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कमरा नं 204, डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर के कार्यालय समय में दिनांक 09.03.23 को सायं 2:00 बजे तक भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा से संबंधित नियम शर्त निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कमरा नं 204, डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर के कार्यालय समय में दिनांक 09.03.23 में 500/- रु जमा (ई-ग्रास चालान) करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट या ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कमरा नं 204, डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- प्राप्त तकनीकी बोलिया को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 10.03.23 प्रातः 11:00 AM बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर को होगा।
- ई-ग्रास चालान के माध्यम से निविदा प्रपत्र का मूल्य निम्न बजट मद में जमा करवाया जाना है।

(DDO code 36829)

बजट मद 0075 -विविध सामान्य सेवाएं

800- अन्य प्राप्तियां

(52) निविदा शुल्क

[01] निविदा शुल्क की प्राप्ति

परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
वित्त भवन जयपुर

निविदा प्रपत्र

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएसएस), डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर हेतु इलैक्ट्रिक सामग्री आपूर्ति करने हेतु बोली प्रपत्र का मूल्य 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)

नोट:-

(1) इस बोली प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।

1. तकनीकी बोली प्रपत्र-परिशिष्ट 'ई'
2. वित्तीय बोली प्रपत्र -परिशिष्ट 'एफ'
3. बोली की शर्तें - परिशिष्ट 'जी'
4. अन्य परिशिष्ट ए से डी।

(2) निविदाएँ दो पृथक-पृथक लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी हैं।

(3) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे में निम्न प्रपत्र दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा लिफाफे पर 'इलैक्ट्रिक सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र' अंकित करना होगा।

1. बोनाफाइड विनिर्माता, थोक विक्रेता, सोल वितरक, प्राधिकृत डीलर, डीलर, सोल विक्रय, विपणन एजेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित लागत का 2%) एवं राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में 0.5 प्रतिशत की राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक परियोजना निदेशक, आरजीएसएस, जयपुर के नाम से निविदा के साथ जमा करवाना होगा।
3. बिड निविदा शुल्क 500/- ई-ग्रास के माध्यम से चालान की प्रति संलग्न करनी होगी।
4. फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज की स्व. प्रमाणित छायाप्रति।
5. जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
6. किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटैस्टेट किया जायेगा।

(3) जिन फर्मों/ठेकेदारों की तकनीकी निविदाएँ उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएँ खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।

(4) "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर " इलैक्ट्रिक सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र " अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाएँ यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती हैं तो कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

(5) दिनांक ~~09.03.2023~~ को सायं 03:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बोलियों को दिनांक ~~10.03.23~~ को प्रातः ~~11.00~~ बजे निविदाओं के लिफाफे को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाएँ खोली जावेगी। निविदा में अंकित सामग्री आपूर्ति एवं इंस्टालेशन निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में स्टोर कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, डी ब्लॉक वित्त भवन जयपुर कमरा नंबर 204 में 500/- ई-ग्रास चालान द्वारा जमा कर दिनांक ~~09.03.2023~~ सायं 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं।

(7) ई-ग्रास चालान के माध्यम से निविदा प्रपत्र का मूल्य निम्न बजट मद में जमा करवाया जाना है।

(DDO code 36829)

बजट मद 0075 -विविध सामान्य सेवाएं

800- अन्य प्राप्तियां

(52) निविदा शुल्क

[01] निविदा शुल्क की प्राप्तियां

(6) तकनीकी परीक्षण के दौरान निविदा में वर्णित सामग्री का डेमो प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी निविदादाताओं को बुलाया जा सकता है और बुलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिये किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण उपकरण आदि व्यवस्था कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएसएस), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर द्वारा नहीं कराई जावेगी, न ही किसी प्रकार के खर्च का पुनर्भरण किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण निविदादाता स्वयं के खर्च पर करेगा।

परियोजना निदेशक (आरजीएसएस)
वित्त भवन जयपुर।

सुनि

2/16

निविदादाताओं द्वारा घोषणा
(देखिए नियम 48 (vii))

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने जिन ए.सी./ टी.वी.
/प्राजेक्टर/सीसीटीवी कैमरा के लिए निविदा दी है उनका / उनके / मैं / हम
बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल
विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती
है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत कर
लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द
किया जा सकेगा ।

नोट:-संबंधित पर राईट का निशान लगावे।



निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न० (निवास)
(कार्यालय)





राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
तकनीकी ई-बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम
2. डाक का पता
3. निविदा सूचना क्रमांक
4. निविदा शुल्क रुपये 500/-
जमा कराने का विवरण
5. फोन/मोबाईल नंबर
6. ई-मेल
7. बैंक का नाम
- IFSC COde
- खाता संख्या
8. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 29.01.23 अपराह्न 3:00 पीएम
9. बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु में प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं एमएसएमई फर्मों की दशा में 0.5 प्रतिशत की राशि का डी.डी का विवरण.....
10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :-

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
2	आय कर (पैन नंबर)				
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत				

11. मैं/हम परियोजना निदेशक(आरजीएचएस) राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग डी ब्लॉक वित्त भवन, जयपुर ई बोली आमंत्रण सूचना 462/2022-23 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त ई-बोली आमंत्रण सूचना में सम्मिलित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
12. तकनीकी रूप से क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी।
13. सभी परिशिष्टों को ए से जी में पूर्ति कर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर तकनीकी ई निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

(हस्ताक्षर)

4/16

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, आरजीएचएस, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर के लिये फर्निचर एवं इलैक्ट्रिक सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रपत्र
(वित्तीय निविदा प्रपत्र)

इलैक्ट्रिक सामग्री की दरें निम्नांकित स्पेशिफिकेशन के अनुसार सावधानी पूर्वक निर्धारित कॉलम में भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सीलबन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में वित्तीय निविदा अंकित करें। कार्य की दरें अंको एवं शब्दों में अंकित करें।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण / स्पेशिफिकेशन	क्रय की संभावित मात्रा	सामग्री की अनुमानित लागत	सामग्री की प्रति नग दर राशि रु. में (समस्त कर / जीएसटी सहित) अंको / शब्दों में एक एवं मॉडल सहित																																																						
1	Split AC with inverter compressor: 1.5 ton (inclusive fitting and electric point) - Split AC with inverter compressor: 1.5 ton Variable speed compressor which adjusts power depending on heat load. It is most energy efficient and has lowest-noise operation - Energy Rating: 5 Star., Annual Energy Consumption (as per energy label): 774.8 units, ISEER Value: 5.1 - Manufacturer Warranty:1 Year on Product, 1 Year on Condenser, 10 Years on Compressor - Copper Condenser Coil: Better cooling and requires low maintenance - Stabilizer Inside, Econo Mode, Indoor unit Quiet Operation, Coanda Airflow, power Chill Operation Refrigerant gas: R32- no ozone depletion potential - Dimension of the indoor unit-107x23.5x29 (cm) - Dimension of the outdoor unit-78x28.5x54.2 (cm) - P.M.O Filter, 4-Way Airflow, 100% Copper Cometed Living.	04नग	2.00 लाख																																																							
2	Projector with Screen <table><tr><td>Resolution</td><td>WXGA</td></tr><tr><td>Brightness(TBD)</td><td>4,000</td></tr><tr><td>Contract Ratio</td><td>300,000:1(w/dynamic black)</td></tr><tr><td>Native Aspect Ratio</td><td>16:10</td></tr><tr><td>Noise level</td><td>27db (Eco mode)</td></tr><tr><td>Offset</td><td>100%-112%(tolerance± 5%)</td></tr><tr><td>Keystone Correction</td><td>40* Vertical</td></tr><tr><td>4-corner Keystone</td><td>x</td></tr><tr><td>Display Colors</td><td>1073.7 Million</td></tr><tr><td>Speaker (watts)</td><td>15w</td></tr><tr><td>Projection Lens</td><td>F/2.41-2.53 f=21.85-24.00mm</td></tr><tr><td>Zoom</td><td>1.1x</td></tr><tr><td>Throw Ratio</td><td>1.54-1.72</td></tr><tr><td>Zoom / Focus Type</td><td>Manual</td></tr><tr><td>Projection Screen Size</td><td>Up to 300"</td></tr><tr><td>Projection Distance</td><td>1m to 10m</td></tr><tr><td>Light type</td><td>Laser Phosphor</td></tr><tr><td>Light Source Life (hours)</td><td>30,000(Eco mode)</td></tr><tr><td>Connections</td><td>HDMI x2, R232, USB-A (5V/1.5A), AudioOut</td></tr><tr><td>Dimension (w x D x H _mm)</td><td>274 x 216 x 114 (w/ feet)</td></tr><tr><td>Weight (kg)</td><td>4.2</td></tr><tr><td>Power Supply</td><td>DC Input 19V via a 180w power adapter (AC input 100- 240V, 50/60 Hz to DV 19V)</td></tr><tr><td>Power Consumption</td><td>140w bright mode, 89w Eco mode, <0.5W Standby mode</td></tr><tr><td>Features</td><td>(i) Low power Consumption</td></tr><tr><td></td><td>(ii) 360* Projection & Portrait Support</td></tr><tr><td></td><td>(iii) IP6X Dust Resistant</td></tr><tr><td>Motorized screen</td><td>5/7 inch perforated screen</td></tr></table>	Resolution	WXGA	Brightness(TBD)	4,000	Contract Ratio	300,000:1(w/dynamic black)	Native Aspect Ratio	16:10	Noise level	27db (Eco mode)	Offset	100%-112%(tolerance± 5%)	Keystone Correction	40* Vertical	4-corner Keystone	x	Display Colors	1073.7 Million	Speaker (watts)	15w	Projection Lens	F/2.41-2.53 f=21.85-24.00mm	Zoom	1.1x	Throw Ratio	1.54-1.72	Zoom / Focus Type	Manual	Projection Screen Size	Up to 300"	Projection Distance	1m to 10m	Light type	Laser Phosphor	Light Source Life (hours)	30,000(Eco mode)	Connections	HDMI x2, R232, USB-A (5V/1.5A), AudioOut	Dimension (w x D x H _mm)	274 x 216 x 114 (w/ feet)	Weight (kg)	4.2	Power Supply	DC Input 19V via a 180w power adapter (AC input 100- 240V, 50/60 Hz to DV 19V)	Power Consumption	140w bright mode, 89w Eco mode, <0.5W Standby mode	Features	(i) Low power Consumption		(ii) 360* Projection & Portrait Support		(iii) IP6X Dust Resistant	Motorized screen	5/7 inch perforated screen	01 नग	1.50 लाख	
Resolution	WXGA																																																									
Brightness(TBD)	4,000																																																									
Contract Ratio	300,000:1(w/dynamic black)																																																									
Native Aspect Ratio	16:10																																																									
Noise level	27db (Eco mode)																																																									
Offset	100%-112%(tolerance± 5%)																																																									
Keystone Correction	40* Vertical																																																									
4-corner Keystone	x																																																									
Display Colors	1073.7 Million																																																									
Speaker (watts)	15w																																																									
Projection Lens	F/2.41-2.53 f=21.85-24.00mm																																																									
Zoom	1.1x																																																									
Throw Ratio	1.54-1.72																																																									
Zoom / Focus Type	Manual																																																									
Projection Screen Size	Up to 300"																																																									
Projection Distance	1m to 10m																																																									
Light type	Laser Phosphor																																																									
Light Source Life (hours)	30,000(Eco mode)																																																									
Connections	HDMI x2, R232, USB-A (5V/1.5A), AudioOut																																																									
Dimension (w x D x H _mm)	274 x 216 x 114 (w/ feet)																																																									
Weight (kg)	4.2																																																									
Power Supply	DC Input 19V via a 180w power adapter (AC input 100- 240V, 50/60 Hz to DV 19V)																																																									
Power Consumption	140w bright mode, 89w Eco mode, <0.5W Standby mode																																																									
Features	(i) Low power Consumption																																																									
	(ii) 360* Projection & Portrait Support																																																									
	(iii) IP6X Dust Resistant																																																									
Motorized screen	5/7 inch perforated screen																																																									

19/11

19/11

5/16

3	65" inch TV		01 नम	00.00 लाख	
	Size	65" inch			
	Resolution	3840 X 2160 (UHD)			
	Refresh Rate	60Hz			
	HDR 10 Pro	Yes			
	HDR	HLG			
	Audio Output	10W+10W			
	Speaker System	2.0 ch			
	Operating System	Android			
	Web Browser	Yes			
	Pre-Loaded Apps	Yes (Youtube, Prime Video, Netflix etc.)			
	Remote	Yes			
	HDMI Earc	Yes			
	Wi-Fi	Yes			
	Screen Share	Yes			
	Dial	Yes			
	Air Play	Yes			
	Bluetooth	Yes			
	HDMI	3			
	RF	1			
	USB	2			
	RJ 45	1			
	Weight	Not more than 21.5 kg			
	Dimensions	1452mm x 44.9mm			
	Voltage, Hz	Ac 100-240, 50-60HZ			
	Warranty	3 Years			
4	CCTV CAMERA				
	Description	Features	Quantity	01.50 लाख	
	Ip camera dome 2 MP (DS-2CD3321GO-1)	Key Features 1/2.8" progressive scan CMOS BLC/3D DNR/HLC 1920 x 1080@30fps Up to 40 m IR range 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens Y IP67 2 Behavior analyses Y Three streams	10		
	16 channel NVR (7617NI-K1)	Key Feature I Up to 16-ch IP camera inputs I H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats I Up to 1-ch@8 MP/3-ch@4 MP/6-ch@1080p decoding capacity I Up to 160 Mbps incoming bandwidth	1		
	Hard disk	hdd 4 tb capacity	1		
	Small nvr rack	4u rack	1		
	Poe switch	16 port poe switch	1		
	Junction box		10		
	Cat 6 with conduit	Approx 500mtr	500Mtr		
	RJ-45 connectors	Lan cable connectors	20		
	Installation charges	Supplying and laying charges	10		

1. उक्त दरों में जीएसटी नियमानुसार सम्मिलित है।
2. बिड में दी गई सामग्री की संख्या में विभागीय निर्देशानुसार कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।
3. निविदा में अंकित सामग्री का मेक एवं मॉडल अंकित करना होगा।
4. निविदा में अंकित सामग्री आपूर्ति के साथ स्थापित (Installation) करने होंगे।
5. उपकरण परिशिष्ट "एफ" के स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही आपूर्ति करनी होंगे।
6. आइटमवार न्यूनतम बोलीदाता फर्म (L1), एवं नमूने के आधार पर निर्धारण किया जावेगा।
7. प्रस्तुत दरें इस कार्यालय पर एफ.ओ.आर व मय इन्स्टालेशन होगी।

मु.न.

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व

पूरा पता मय सील

मोबाइल नंबर

ईमेल

6/16

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है, के अभाव में बिड/बोली निरस्त मानी जावेगी।

1. निविदायें तकनीकी बिड व वित्तीय बिड ई-उपापन के माध्यम से करनी होगी।
 - (क) बोनाफाइड विनिर्माता, थोक विक्रेता, सोल वितरक, प्राधिकृत डिलर, डिलर, सोल विक्रेता, विपणन एजेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 - (ख) बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु में प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं एमएसएमई फर्मों की दशा में 0.5 प्रतिशत की राशि का डी.डी. परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, जयपुर, के नाम प्रस्तुत करना होगा, बिड निविदा शुल्क 500/-रुपये ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर ई-पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। डी.डी. के अभाव में निविदा अस्वीकृत मानी जावेगी।
2. प्रथम लिफाफे (प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखे जावेंगे।
 - (क) फर्म/कंपनी/संस्था/एजेन्सी का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करेगी।
 - (ख) बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु में प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं एमएसएमई फर्मों की दशा में 0.5 प्रतिशत की राशि का डी.डी. परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, जयपुर, के नाम प्रस्तुत करना होगा, बिड निविदा शुल्क 500/-रुपये ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर ई-पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। डी.डी. के अभाव में निविदा अस्वीकृत मानी जावेगी।
 - (ग) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज। (स्व प्रमाणित)
 - (घ) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)(स्व प्रमाणित)।
 - (ङ) किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।
3. दूसरे लिफाफे में केवल आरजीएचएस कार्यालय उपयोग हेतु इलेक्ट्रिक सामग्री आपूर्ति की वित्तीय बिड होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।
4. दोनो लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, वित्त भवन जयपुर के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दुरभाष/मोबाईल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
6. बोली की विधि मान्यता 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
7. बोलीदाता अपनी सविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
8. ई-बोली की दरें एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
9. मूल्यांकन की कसौटी-तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की प्रत्येक आइटम की प्रति ईकाई, प्रति नग, @ per जिसमें जीएसटी व अन्य समस्त व्यय शामिल है) की न्यूनतम कीमत (मूल्य) के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईंग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
10. बोलियों का अपवर्जन-अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित (Exclude) किया जा सकेगा।
11. बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु में प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं एमएसएमई फर्मों की दशा में 0.5 प्रतिशत की राशि का डी.डी. परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, जयपुर, के नाम प्रस्तुत करना होगा।
12. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा -
 - (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किंतु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
 - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार (agreement) निष्पादित नहीं करता है।
 - (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा नहीं कराता है।

Handwritten signature and initials

Handwritten number 7/18 inside a circle

- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में निविदा में उल्लेखित सामग्री (Supply with installation) सप्लाई प्रारंभ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय - 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
13. करार का निष्पादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Execution of Agreement and Performance Security)
- (अ) ई-बोली आमंत्रण में अंकित सामग्री की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से 07 दिन में सामग्री के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, जयपुर के नाम पर या आरटीपी.पी नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार जमा करानी होगी एवं सफल बोलीदाता स्वयं के व्यय पर 500/- रुपये राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। जिसकी पालना के लिए अनुबंधित बोलीदाता मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- (ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समहरण (Forfeiture of Performance Security) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नोक्त मामलों में समहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा -
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता संपूर्ण सामग्री सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सामग्री सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सामग्री की सप्लाई प्रारंभ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (घ) वारंटी अवधि में शिकायत पर सेवाएं नहीं देने पर, प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
15. भुगतान :- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। बिल का भुगतान नियमानुसार कर/वसूली आदि की कटौती उपरांत किया जावेगा।
16. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामलों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु बोलीदाता/संवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग संबंध प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से बोली दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करानी होगी।
17. बोली की निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, डी ब्लॉक वित्त भवन, जयपुर से दूरभाष नं 9887374426/7734027116 ई-मेल pd.rghs@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
18. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
19. फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज. लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तों एवं नियमों की पालना करनी होगी। फर्म द्वारा निविदा में अंकित सामग्री समय पर आपूर्ति नहीं करने पर विलम्ब के लिए फर्म द्वारा दिये बिल से या जमा प्रतिभूति राशि में से क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार काटी जायेगी:-
- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत
- (ग) आधी अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
20. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
22. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।
23. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
24. सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जावेगी, जिसकी उपापन समिति जाँच करेगी। जाँच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड में योग्य पाये जावेंगे, उनकी ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
25. उपापन संस्था उसके द्वारा प्रारंभ की गई उपापन की प्रक्रियाओं को सफल बोली की स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय या सफल या सफल बोली स्वीकृति होने के पश्चात आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 26 की उपधारा (4) व (5) के अनुसार रद्द कर सकेगी।
26. आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा के अनुसार किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विधि संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।
27. आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 7(2) किके अनुसार किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला
- (क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करेगा।

सुनि

3/16

- (ख) ऐसे करों को संदत करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगा।
- (ग) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक उपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उसके निदेशक और अधिकारी दोषसिद्धि हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरहित हुए हैं।
- (घ) ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप में प्रभावित करें।
28. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के 10 दिवस में निविदा में अंकित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
29. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के 07 दिवस में संविदा के 2.5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत राशि) जब्त कर दी जावेगी। प्रतिभूति राशि गारण्टी/वारण्टी अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी।
30. अनुबंधित फर्म निविदा में वर्णित सामग्री क्रय का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
31. निविदा में उल्लेखित सामग्री के इन्स्टालेशन की प्रक्रिया स्टोर शाखा, कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर की देखरेख में निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
32. उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 09.03.23 अपराह्न 3:00 पीएम बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
33. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति मय installation करने के पश्चात् ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
34. सामग्री क्रय अवधि में चालू रहने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
35. फर्म द्वारा सामग्री क्रय अवधि की दी गई दरों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। कर (tax) ना जमा कराने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
36. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये इंजीनियरों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
37. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
38. यदि अनुबंधित फर्म के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर इंजीनियर न्यायालय में अनुतोश पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को अनुबंधित फर्म को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
39. निविदा में अंकित सामग्री इन्स्टालमेंट के समय लगाये जाने वाले इंजीनियरों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णरूप से अनुबंधित फर्म जिम्मेदार होगी।
40. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीमा भवन, जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे अनुबंधित फर्म को मानना होगा।
41. सभी विवादों को न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
42. क्रय की गई सामग्री की आपूर्ति की वारंटी अवधि में प्राप्त शिकायत का इन्द्राज कर फर्म से कार्य करायेंगे तथा इसकी मोनेटरिंग स्टोर अनुभाग द्वारा की जायेगी। वारण्टी अवधि में शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
43. विभाग से सामग्री वारंटी अवधि में ठीक करने हेतु बाहर ले जाने पर स्टोर से गेट पास लेना होगा।
44. अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध को भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में संविदा समाप्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर का होगा।
45. कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर को बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताये संविदा/ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
46. आपूर्ति की गई सामग्री को वारंटी अवधि में तत्काल ठीक करना होगा।
47. अनुबंधित फर्म द्वारा समस्त सामग्री आदेश में उल्लेखित तिथि तक ही आपूर्ति करनी होगी। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् फर्म द्वारा आपूर्ति करने पर भुगतान में विलम्ब होने एवं भुगतान नहीं होने के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
48. निविदा में अंकित सामग्री के प्रतिष्ठित एवं प्रचलित ब्रण्ड भारत मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित उपकरणों की निविदाएं ही मान्य होगी व निविदा में दिये गये पूर्ण विवरण स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही अच्छी किस्म की आपूर्ति करनी होगी।
49. दी गई समस्त दरें इस कार्यालय पर FOR होगी।
50. प्रदाय सामग्री का इन्स्टालेशन निर्धारित समय विधि में तत्काल करना होगा।

2/11/23

9/11

51. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा में कमी/बढ़ोतरी का पूर्ण अधिकारी कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर को होगा।
52. निविदा एवं संलग्न प्रपत्र A,B,C,D आवश्यक रूप से हस्ताक्षर कर अपलोड करने होंगे।



परियोजना निदेशक
(आरजीएचएस)
वित्त भवन जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता.....

मोबाईल/टेलिफोन नं.....





Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall --

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

12/7
532

11/16

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for
procurement of In response to their Notice Inviting
Bids No. Dated I/we hereby declare
under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :





Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is -----

The designation and address of the Second Appellate Authority is -----

1. Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved. Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings. Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of Appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

8/11

8/12

13/18

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurements shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

14/16

Memorandum of Appeal under the Rajasthan
Transparency in Public Procurement Act, 2012Appeal No. of
Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

(Supported by an affidavit)

7. Prayer :

Place

Date

Appellant's Signature



FORMAT FOR NON BLACKLISTING OF SUPPLIER

I/We _____ Manufacturer/partner/Authorized/ Distributor/Agent (strike out which is not applicable) of (Supplier) _____ do hereby declare and solemnly affirm that the individual/firm/company is not black-listed by the Union/State Government/Autonomous body.

Deponent

Address _____

I/we hereby solemnly declare and affirm that the above declaration is true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it false and nothing has been concealed.

Deponent



16/16